# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या 1615/2006/जयपुर**

मैसर्स कॉन्टेक इन्स्ट्रूमेन्टस लि0,
एफ–टी–44 रायसर प्लाजा, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त एफ–एफ, जयपुर। .....प्रत्यर्थी.

**खण्डपीठ**
**श्री खेमराज, अध्यक्ष**
**श्री मदन लाल, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री पंकज घीया,
अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 01.08.2016**

## निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 31/आरएसटी/अपील्स–चतुर्थ/05–06/जेपीएफ में पारित आदेश दिनांक 06.12.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–एफ, जयपुर (जिसे आगे **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1995 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 29(4) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 18.03.2005 के जरिये सृजित कर राशि रूपये 1,30,178/–, सरचार्ज रूपये 19,527/– एवं धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 2,525/– व धारा 58 के तहत ब्याज रूपये 75,391/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का वर्ष 02–03 का कर निर्धारण अन्तर्गत अधिनियम की धारा 29(4) के तहत वर्ष 02–03 आदेश दिनांक 18.03.2005 के तहत सम्पन्न किया गया। व्यवसायी ने एसटी 5ए में कुल बिक्री 65,14,567/– दर्शायी है जिसमें से इलेक्ट्रोनिक वेईंग स्केल का 8 प्रतिशत कर योग्य विक्रय रूपये 6,50,885/– बताया है, इस विक्रय पर निर्धारण अधिकारी ने 10 प्रतिशत की दर से करारोपण एवं अधिभार आरोपित किया जिसकी अन्तर कर राशि रूपये 1,30,178/– एवं अधिभार 19,527/– एवं ब्याज रूपये 65,122/– एवं नियमित कर देरी से जमा कराने के कारण ब्याज धारा 58 के तहत रूपये 8,109/– अवधारित किया गया एवं टी0ओ0टी0 देरी से जमा कराने के कारण ब्याज रूपये 2,160/– अवधारित किया गया एवं धारा 61 के तहत शास्ति

लगातार.....2

रूपये 2,525/– आरोपित की गई। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(30) एफडी/टैक्स/2002–143 दिनांक 22.03.2002 की प्रविष्ठि 94 में "All Kinds of hardware, welding electrodes including welding rods and weights & measures" के अनुसार कर दर 8 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में सशक्त अधिकारी द्वारा सामान्य दर से करारोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

5. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अतिरिक्त आयुक्त (वेट) वाणिज्यिक कर द्वारा दिए निर्णय दिनांक 08.09.2004 अन्तर्गत अधिनियम की धारा 40 का हवाला दिया जाकर 10 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया है जिसे विधिसम्मत नहीं है। अतः उन्होंने सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को न्यायहित में नहीं बतलाते हुए उस पर आरोपित कर, सरचार्ज, धारा 61 के तहत शास्ति एवं धारा 58 के तहत ब्याज को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि आलौच्य अवधि में Weighing Sclaes पर कोई कर दर निर्धारित नहीं होने से इस पर सामान्य दर से ही करारोपण किया जा सकता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने 8 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए विक्रय किये जाने में त्रुटि की गयी है। उन्होंने अतिरिक्त आयुक्त (वेट) धारा 40 के अन्तर्गत दिये गये निर्णय दिनांक 08.09.2004 का हवाला दिया जिसके अनुसार उक्त वस्तुओं पर कर दर सामान्य की होगी। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा तदनुसार अन्तर कर, सरचार्ज व ब्याज का आरोपण विधि अनुसार किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों का समुचित अवलोकन करते हुए प्रत्यर्थी की अपील अस्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड का ससम्मान अध्ययन किया गया। अतिरिक्त आयुक्त (वेट), वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर द्वारा अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत प्रसारित निर्णय दिनांक 08.09.2004 में दिए गए निर्णयानुसार इलैक्ट्रोनिक वेईंग स्केल की कर दर 10 प्रतिशत विनिश्चय की गई है। प्रकरण में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि कर निर्धारण वर्ष 2002–03 के दौरान Weighing Sclaes पर कर दर क्या होगी ? इस

लगातार.....3

सम्बन्ध में राज्य सरकार की अधिसूचना का अवलोकन करना उचित होगा जो निम्न प्रकार है :– संख्या एफ.4(30)एफडी/टैक्स डिवी./2002–143 दिनांक 22.03.2002 की प्रविष्ठि संख्या 94–All kinds of hardware, welding electrodes including welding rods and weights & measures.....8% अर्थात बाट व माप पर कर दर 8% निर्धारित है।

8. इस सम्बन्ध में Director, Legal Metrology, Department of Consumer Affairs M/o Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India, Krishi Bhawan, New Delhi-110001 द्वारा राजस्थान वेट्स एण्ड मेजर्स डीलर्स एसोसियेशन को लिखे गये पत्र क्रमांक WM-9(5)/2008 दिनांक 28.05.2008 में Weight or measure के सम्बन्ध में निम्न स्पष्टीकरण दिया गया है :–

Subject : Weights and Measures Clarification.

Sir,

The undersigned is directed to refer to your letter No. Nil dated 8.8.2008 on the above mentioned subject and to inform the following :

1. As per the Section 19 of the Standards of Weights and Measures (Enf.) Act, 1985, no person shall manufacture, repair or sale etc. of weight or measure without obtaining licence issued by the Controller of Legal Metrology of the State. As for import persons importaing weight or measure and to get themselves registerted with the Director Legal Metrology as required under Sec 47 of the Standards of Weights and Measures Act, 1976.

2. As per Section-2(zd) of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 weight or measure means a weight or measure means a weight or measure specified by or under this Act and includes a weighing or measuring instrument. The specification of the non-automatic weighing instrument given in the Standards of Weights and Measures (General) Rules, 1987 in Seventh Schedule, Heading -"B" includes electronic weighing machines also.

9. इसी प्रकार संयुक्त नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, राजस्थान जयपुर द्वारा अध्यक्ष, राजस्थान वेट्स एण्ड मेजर्स डीलर्स एसोसियेशन, जयपुर को लिखे गये पत्र क्रमांक एफ.6(326)आ.उ./बा.मा./पंजी/98 दिनांक 18.08.2008 में अंकित किया गया है कि –

**"उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि मानक बाट व माप अधिनियम 1976 की धारा 2(जेड.डी) एवं मानक बाट व माप (सामान्य) नियम 1987 के नियम 13 के अंतर्गत अधिनियम व नियमों में अंकित वेइंग अथवा मेजरिंग इन्स्ट्रूमेंट को बाट या माप की परिभाषा में शामिल किया गया है। मानक बाट व माप (सामान्य) नियम, 1987 की अनुसूची–7 के अनुसार इलेक्ट्रोनिक आटोमेटिक तथा नॉन आटोमेटिक दोनों प्रकार की वेइंग मशीनें अधिनियम में परिभाषित बाट व माप की श्रेणी में आती हैं।"**

लगातार.....4

10. इसी सन्दर्भ में Standards of Weights and Measures Act, 1976 की धारा 2 Definitions की उपधारा (z-d) निम्न प्रकार है :–

> "(z-d) "Weight or measure" means a weight or measure specified by or under this Act, and includes a weighing or measuring instrument;"

11. उक्त दोनों अधिसूचनाओं में weights and measures का उल्लेख किया गया है, जिसका सामान्य विवेक बुद्धि के अनुसार भी स्पष्ट आशय Weighing scales (तुला) ही माना जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा Weighing scales का तात्पर्य बाट एवं माप मानते हुए सामान्य दर से करारोपण किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

12. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा Weighing scales पर आलौच्य अवधि में 8 प्रतिशत की दर से विक्रय किया जाना उचित व विधिक है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किया जाना उचित नहीं है। धारा 40 का निर्णय पश्चात अविध से सम्बन्धित है अतः इसका आलौच्य अवधि में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

13. जहां तक ब्याज व विवरणियों हेतु आरोपित शास्ति का प्रश्न है, ब्याज व्युत्पित कर के विलम्ब हेतु लगाया गया है परन्तु जब अतिरिक्त कर देयता नहीं रहती है तब ब्याज आरोपण का कोई औचित्य नहीं है। विवरणियों के विलम्ब हेतु कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है अतः उपर्युक्त कारण से सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति राशि अन्तर्गत धारा 61 रूपये 2,525/– की पुष्टि की जाती है।

14. परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

01-08-2012

( मदन लाल )
सदस्य

( खेमराज )
अध्यक्ष